

I/555829/2024

ई-मेल

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण
उ०प्र०।

4 जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 07 मई, 2024

विषय:- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-516/78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 01.04.2024 एवं उसके साथ संलग्न संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रतियाँ संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराया गया है कि भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा निम्नवत् संशोधन/समावेशन किया गया है :-

(1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिये तार सेवा को बहालकरने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा। इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

(2) मार्ग फर्नीचर से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के मशीन के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।

(3) लाइसेंसधारक के पास कई स्थलों के लिये एकल आवेदन प्रस्तुत करनेका विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तदुसार कई स्थलों

I/555829/2024

के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबन्ध करेगा।

(4) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग-। या भाग-।।। के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिये कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकर नहीं लेंगे, परन्तु कि ये प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्सचर आदि के लिये लगाये जायेंगे और लाईसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुये नुकसान को बहाल करेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में संशोधन संबंधी दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुपालन के संबंध में यथावश्यकता नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

उदय भानु त्रिपाठी

विशेष सचिव

Signed by उदय भानु

त्रिपाठी

Date: 07-05-2024 12:31:05

Reason: Approved

File No.78-01099/418/2019-00 0-1-00

संख्या:-516/78-1-2024-1099/418/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकार्यो, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनु०-1

लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2024

विषय:-भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये हैं जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप में सड़क ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-852/78-1-2018-45 आई०टी०/2016 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अंगीकृत करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा 5 जी रोलआउट के क्रियान्वयन की महत्ता के दृष्टिगत आवश्यक बिन्दुओं को समाहित करते हुए अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिन्हें आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 17/2023/1305/78-1-2023/45 आई०टी०/2016, दिनांक 10 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश में पुनः अंगीकृत किया गया है।

तत्कम में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2023 द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं/संशोधनों का समावेश किया गया है:-

- (1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिये तार सेवा को बहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा। इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

1/10/2024

File No.78-01099/418/2019-00 0 -1-00

(2) "मार्ग फर्नीचर" से वियुत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के मशीन के लिये प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।

(3) लाइसेंसधारक के पास कई स्थलों के लिये एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तदनुसार कई स्थलों के लिये एकल अनुमति जारी करने के लिये उचित उपबन्ध करेगा।

(4) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग-I या भाग-III के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिये कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकार नहीं लेंगे, परन्तु कि ये प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिये लगाये जायेंगे और लाइसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुये नुकसान को बहाल करेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संचार एवं सूचना पौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को निर्गत "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अधिसूचित संशोधनों को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed (अमित कुमार सागर)

कुमार सागर

Date: 21-03-2024 15:25:07

Reason: Approved

90 संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कृषि उत्पादन आयुक्त, 30 प्र 0 शासन।
- 2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30 प्र 0 शासन।
- 3-समाज कल्याण आयुक्त, 30 प्र 0 शासन।
- 4-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 30 प्र 0 शासन।
- 5-निजी सचिव, मा० विभागीय मंत्री, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र 0।
- 6-निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र 0।
- 7-निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30 प्र 0 शासन।
- 8-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र 0 शासन।
- 9-निजी सचिव, विशेष सचिव, आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र 0 शासन।
- 10-प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

File No.78-01099/418/2019-00 0 -1-00

11-महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।

12-गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(नेहा जैन)
विशेष सचिव।

ANNEXURE-I

उत्कृष्टी सं. टी.एल. - 33604/199

REGD. No. D. L. 33004/199



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-म.-06082023-247923
CG-DL-E-06082023-247923

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465।
No. 465।

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 594(अ.)—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, धारा 12 और धारा 15 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के छंद (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

9 क. अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना - (1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तारसंस्थापक, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह सम्बन्धित अधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए तार सेवा

2630082/2023/00 0 -1

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

को वहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के ददते भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा।

(2) इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीम या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 10 के, उप-नियम (5) में,-

(क) शब्द और अंक "नियम 10ख" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 10क और नियम 10ख" रखे जाएंगे;

(ख) खंड(ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(घ) "मार्ग फर्नीचर" से विद्युत, स्टीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के मशीन के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।'

4. उक्त नियमों के नियम 10क में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(1क) लाइसेंसधारक के पास कोई स्थलों के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तदनुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबंध करेगा।"

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(5) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देगे और अनुसूची के भाग-I या भाग-II के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिए कोई प्रशासनिक फीम या प्रतिकर नहीं लेंगे:

परंतु कि ये प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई विजली (उद्योग दरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिए लगाए जाएंगे और लाइसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुए नुकसान को वहाल करेगा।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

(नियम 5(3), 6(1ख), 6(2)(क), 6(3), 9(3), 9क(2), 10(2), 10(3)(क), 10क(2), 10क(4), 10क(5))

नियम	पर	राशि
(1)	(2)	(3)
भाग-I		
शुल्क		
5(3)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर
9(3)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	(i) मोबाइल टावर लगाने के लिए एक हजार रुपये (ii) भूमि के ऊपर तार लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर। (iii) खंभों की स्थापना के लिए, स्मॉल सेल और तार लाइन की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए शून्य।

2630082/2023/00 0-1

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

		(iv) जंघों की स्थापना के लिए, समान सेत और तार माइन की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या अनुचित केंद्रीय प्राधिकरण समुचित के अलावा समुचित प्राधिकरण के नियंत्रण या पबंधन के लिए प्रति पौज एक हजार रुपये।
9 क (2)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की अस्थायी स्थापना	शून्य।
10 क (2)	सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए समान सेत और तार माइन की स्थापना के लिए	शून्य।
10 क (5)	समुचित केंद्रीय प्राधिकरण के निहित या अर्पित मयनों अथवा संरचनाओं पर समान सेतों की स्थापना के लिए	शून्य।
भाग-II-चुआती के लिए प्रसार		
6(2)(क)	साइंससधारक द्वारा क्षति को दूर करने की आवश्यकता का निर्धारण करने का अचल नहीं देने पर समुचित तार अवसंरचना की स्थापना।	यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो तो अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अचल संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि।
6(3)	साइंससधारक द्वारा क्षतिपूर्ति को दूर करने की आवश्यकता का निर्धारण किया है वहाँ समुचित तार अवसंरचना की स्थापना के मायने में निष्पादन हेतु सुरक्षा के रूप में एक गारंटी।	अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि का 20 प्रतिशत यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो।
10 (3)(क)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो, इसके अलावा साइंससधारक समान सेत और तार माइनों की स्थापना के लिए जंघों को स्थापित करने के मायने में हुई क्षति की परतर्पण करेगा।
भाग-III-रतिकर		
6(1ख)	समुचित तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।
9 क(2)	अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।
10(2)	भूमि के ऊपर अवसंरचना की स्थापना	यदि ऐसी संपत्ति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है तो उपयुक्त प्राधिकरण के माध्यम से आदेश द्वारा दर निर्दिष्ट कर सकता है। तथापि, समान सेत और तार माइनों की स्थापना हेतु जंघों की स्थापना के लिए इतिहास शून्य होगा।

2630082/2023/00 0 -1

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—Sec. 3(ii)]

10 फ (4)	स्मान वेग और हाग माचन की स्थापना के लिए मार्ग फनीशर का उपयोग	(i) स्मान वेग की स्थापना के लिए: मार्ग फनीशर के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर तीन सौ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ग एक सौ रुपये रुपये। (ii) तार लाइन की स्थापना के लिए: प्रति मार्ग फनीशर के अनुसार एक सौ रुपये प्रति वर्ग।
10 फ (5)	संयुक्त केंद्रीय प्राधिकारियों में निहित या उनके नियंत्रण में न्यून अथवा संरचनाओं पर स्मान वेगों की विनायी के लिए	शून्य।

[फा. सं. 2-6/2023-नीति]

मुनीन कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 1070 (अ.) तारीख 15 नवंबर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और नत्पश्चात् सा.का.नि. 407 (अ.) तारीख 21 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 749 (अ.) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 और सा.का.नि. 635 (अ.) तारीख 17 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

"9A. Establishment of temporary overground telegraph infrastructure. — (1) In case of damage of any existing underground telegraph infrastructure for any reason, the licensee, whose existing underground telegraph infrastructure is damaged, may temporarily establish the overground telegraph infrastructure, in lieu of the damaged underground telegraph infrastructure, to restore the telegraph service for the period of sixty days from the date of reporting of damage of the infrastructure to the appropriate authority.

(2) No fee or compensation shall be charged by the appropriate authority for the establishment of temporary overground telegraph infrastructure under this rule".
- In rule 10 of the said rules, in sub-rule (5),—
 - for the word and figure "rule 10B", the words and figures, "rule 10A and rule 10B", shall be substituted;
 - after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

(d) "street furniture" means post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or convenience of such nature established over the property of an appropriate authority."

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

5

4. In rule 10A of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The licensee shall have the option of submitting single application for multiple sites and appropriate authority shall make due provisions for accepting such applications and issuing single permission for multiple sites accordingly for establishment of small cells."

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The appropriate central authorities shall permit deployment of small cells and shall charge no administrative fees or compensation for deployment of small cells on buildings and structures vested in or under their control as per Part-I or Part-III of the Schedule:

Provided that the charges shall be levied for power (as per industry tariffs), fixtures etc. provided by building owners as per accruals and licensee shall restore the damage done during deployment of small cells."

5. For the Schedule of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:-

"THE SCHEDULE

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (c), 6 (3), 9 (3), 9 A (2), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4), 10 A (5)]

Rule (1)	Item (2)	Amount (3)
Part-I Fee		
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer.
9(3)	For establishment of overground telegraph infrastructure	(i) Ten thousand rupees for establishment of mobile towers (ii) One thousand rupees per kilometre for establishment of overground telegraph line. (iii) Nil for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate central authority (iv) One thousand rupees per pole for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate authority, other than appropriate central authority.
9 A (2)	For Establishment of temporary over ground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10A (2)	For installation of small cells and telegraph line using the street furniture	Nil.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities.	Nil.
Part-II Charges for restoration		
6(2)(c)	Establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is not given by the licensee to discharge the responsibility to restore the damages	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.
6(3)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is given by the	20 percent of the sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area.

2630082/2023/00 0 -1

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Part-III Compensation		
	licensee to discharge the responsibility to restore the damages	If no rate has been prescribed by central public works department for that area.
10(3)(e)	Establishment of overground telegraph infrastructure	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area, further, licensee shall restore the damage incurred in case of establishment of poles for installation of Small Cells and telegraph line.
6(1B)	Establishment of underground telegraph infrastructure	Nil.
9 A(2)	For Establishment of temporary over ground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10(2)	Establishment of Over Ground Infrastructure	Rates as the appropriate authority may, by general order, specify, if such property cannot be used for any other purpose. However, for establishment of poles for installation of small cells and telegraph line, compensation shall be Nil.
10A (4)	Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line	(i) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture. (ii) For installation of telegraph line: One hundred rupees per annum per street furniture.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities.	Nil.

[F. No. 2-6/2023-Policy]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 2016 and subsequently amended vide G.S.R. 407 (E), dated the 21st April, 2017, G.S.R. 749 (E), dated the 21st October, 2021 and G.S.R. 635(E), dated the 17th August, 2022.